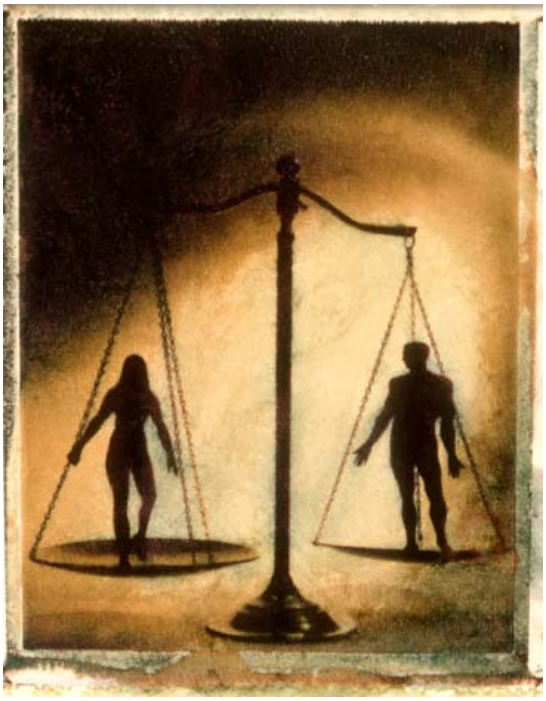

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नया प्रस्तावित कानून

इज्जत के दाम?

नसीम अंसारी

स्त्री की सुरक्षा और उसके हितों के लिए काम करने का दम भरने वाला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला आयोग और देश में मौजूद बड़ी बड़ी ताकतवर महिला स्वयंसेवी संस्थाएं, जिनको विदेशी संस्थाओं से करोड़ों रुपया हर साल दान-स्वरूप मिलता है, के दबाव में भारतीय महिलाओं को न्याय देने के लिए जो अधकचरे कानून बन रहे हैं और आननफानन में संसद से पास कराए जा रहे हैं, उन कानूनों से महिलाओं का नुकसान ही ज्यादा हो रहा है। फिर चाहे वह घरेलू हिंसा कानून हो, दहेज प्रताड़ना कानून या नया प्रस्तावित कार्यस्थलों में यौन-उत्पीड़न निरोधक कानून।

भारत के सुदूर अन्दरूनी गांवों से अक्सर ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि गांव की लड़की से गांव के दबंग ने बलात्कार किया, पंचायत बैठी और पंचों ने बलात्कारी को सजा के तौर पर दस जूते लगाने और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुना कर लड़की को न्याय (?) दे दिया। चलिए, वे तो गांव के रूढ़ीवादी और अनपढ़ हैं, जो जुर्म की जघन्यता और देश के कानून से भी अनभिज्ञ हैं, लेकिन भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? क्या वह भी अब औरत की इज्जत को पैसों से तोलेगा? कीमत लगाएगा उसकी बेज्जती की? उसके यौन-उत्पीड़न की, मानसिक उत्पीड़न की, भावनात्मक उत्पीड़न की? क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गांव-देहातों में लगने वाली पंचायतों में बैठे अपनढ़-गंवार पंचों से भी गया गुजरा हो गया है कि महिला हित का कानून ड्राफ्ट करते वक्त उसे यह समझ में नहीं आया कि किसी भी सच्ची भारतीय स्त्री को अपनी इज्जत का दाम लेना हरगिज स्वीकार नहीं होगा, वह तो सजा चाहेगी उस आदमी के लिए, जिसने उसकी इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया, लेकिन नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नया कानून लाकर कार्यस्थल में यौन-उत्पीड़न की मारी स्त्री को आरोपी की तनख्वाह से हरे हरे नोट दिलवा कर उसे न्याय (?) देने वाला है!

सर्वविदित है कि पीड़ित महिलाओं को न्याय देने के लिए दहेज प्रताड़ना कानून 498-ए और घरेलू हिंसा एक्ट का आज बदला लेने की कुनीयत और धन के लालच में किसकदर दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ने अपने जजमेंट्स में इन कानूनों के दुरुपयोग पर चिन्ता व्यक्त की है। उकसावे और पैसे के लालच में स्त्रियां इन कानूनों का इस्तेमाल हथियार के रूप में अपने पतियों पर करने लगी हैं, लेकिन अंत में ज्यादा नुकसान में वही रहती हैं। इन कानूनों के दुरुपयोग की वजह से ही आज लाखों की संख्या में महिलाएं एकाकी और कष्टपूर्ण जीवन काटने के लिए मजबूर हैं, लाखों की संख्या में महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर दूसरों के रहमो-करम पर मानसिक त्रासदी झेलती हुई जीवित रहने के लिए बाध्य हैं।

अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाले एक और नये कानून का प्रस्ताव लेकर आया है, यह प्रस्तावित कानून है - कार्यालय में यौन उत्पीड़न निरोधक कानून, जिसके अन्तर्गत यौन-उत्पीड़ित महिला की इज्जत के दाम तय किये जाएंगे। इस प्रस्तावित कानून के संसद से पास होने के बाद इसके दुरुपयोग से न सिर्फ देश भर में पैसे का गंदा और घिनौना खेल चालू हो जाएगा,

बल्कि इस नये कानून के कारण पहले से मौजूद कई कानूनों का घोर उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यौन-उत्पीड़न के सम्बन्ध में जारी विशाखा गाइडलाइंस का उल्लंघन, पुरुषों का उत्पीड़न, महिला-रोजगार को भारी क्षति, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में भय और असंतुलन, महिलाओं के प्रति शंका, घृणा और उपेक्षा, समाज में विद्वेष और हिंसा को बढ़ावा जैसे अनेकों नुकसान स्पष्ट दिखायी दे रहे हैं, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन नुकसानों को नजरअंदाज करके नये प्रस्तावित कानून को संसद से पास कराने की जीतोड़ कोशिशों में जुटा है।

इस प्रस्तावित कानून पर गैर सरकारी संगठनों, कानूनविदों और बुद्धिजीवियों का साफ कहना है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के सुझाए दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर महिला स्वयंसेवी संगठनों के दबाव में लाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस प्रस्तावित कानून पर बीते कई सालों से विवाद जारी है, बार बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको पास कराने के लिए लॉ-मिनिस्ट्री पर जोर दबाव बनाता था और हर बार किसी न किसी बिन्दु पर ऑब्जेक्शन लगा कर लॉ-मिनिस्ट्री इसे वापिस कर देती थी। जोर-जबरदस्ती का दौर एक बार फिर चालू है और अबकी इस कानून को लॉ-मिनिस्ट्री से पास करा लिया गया है। यह कानून अब कैबिनेट के समक्ष है, जो अब इसे कभी भी पास होने के लिए संसद में पेश कर सकता है।

इस कानून में सबसे ज्यादा जिस बात पर आपत्ति व्यक्त की जा रही है वह है यौन-उत्पीड़ित महिला को उसकी इज्जत के बदले में आरोपी की तनख्वाह से पैसा दिलाना। सजा के बदले पैसे के प्रावधान पर न सिर्फ पुरुष बल्कि स्त्रियां भी भारी विरोध दर्ज करा रही हैं। रियल एस्टेट कम्पनी में सेल्स एक्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रही संजना कहती है, "अगर मेरे ऑफिस का कोई पुरुष या मेरा बॉस मुझसे अश्लील हरकत करे, मुझे छुए या जबरदस्ती चुम्बन ले, तो मैं ऐसे आदमी को जेल में देखना चाहूंगी, उसकी तनख्वाह का पैसा छूना तक नहीं है मुझे, थूकती हूं मैं ऐसे पैसों पर।"

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न निरोधक कानून का जो आधा-अधूरा ढांचा उनकी वेबसाइट के माध्यम से सामने आया है, उसमें कई आपत्तिजनक बिन्दु हैं जो न सिर्फ महिलाओं का बेतहर नुकसान करेंगे बल्कि निर्दोष पुरुषों के साथ अन्याय और उनके शोषण को बढ़ाएंगे।

जांच के लिए कमेटी का गठन

किसी भी कार्यालय या फैक्ट्री अथवा अन्य संस्थाओं में जहां 10 से अधिक कर्मचारी, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों, को यौन-उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए एक कमेटी बनानी आवश्यक होगी, जिसकी चेयरपर्सन कार्यालय में काम करने वाली कोई ऐसी सीनियर अधिकारी होनी चाहिए जो महिला मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध हो। यदि उस कार्यालय में ऐसी महिला उपलब्ध न हो तो किसी अन्य कार्यालय अथवा किसी महिला स्वयंसेवी संगठन की किसी महिला को इस पद पर रखा जाएगा। कमेटी के सदस्यों में दो महिला सदस्य किसी महिला स्वयंसेवी संगठन की कार्यकर्ता होंगी, जो पूरी तरह महिला मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध होंगी। कमेटी में कार्यालय का एक पुरुष सदस्य होगा। इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा और इनको इसके लिए अलग से धनराशि कार्यालय की तरफ से देय होगी। स्पष्ट है कि जब कानून में प्रावधान करके ऐसी कमेटी का गठन होगा, जिसमें बैठे जजों के लिए पहली शर्त ही महिला हितों के प्रति प्रतिबद्ध होने की है तो फिर वे निष्पक्ष कहां रह गये? जब जज ही निष्पक्ष नहीं हैं तो क्या वे यौन उत्पीड़न मामले की जांच करते वक्त दोनों पक्षों को निष्पक्षता और बराबरी से सुनेंगे और सही न्याय करेंगे?

विशाखा गाइडलाइन का उल्लंघन

यौन-उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1970 में विशाखा गाइडलाइंस के अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े यौन-मामलों की जांच के लिए बहुत स्पष्ट और संतुलित निर्देश जारी किये थे, जिन्हें अब तक कानून जैसी मान्यता मिली हुई है। चूंकि इसमें जांच की बहुत संतुलित व्यवस्था है, लिहाजा इसका दुरुपयोग नहीं के बराबर है। इसमें प्रावधान है कि किसी यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को लेकर ही एक कमेटी बनेगी, जिसकी अध्यक्ष कार्यालय की ही एक सुलझी हुई, वरिष्ठ महिला होगी। कमेटी में आधी से ज्यादा महिला सदस्य होंगी और बाकी पुरुष होंगे। इनके अलावा बाहर का एक समाजसेवी जो स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो सकता है और जिसे ऐसे मामलों को सुलझाने का अनुभव हो, जो निष्पक्ष और संतुलित हो वह इस कमेटी में ऑब्जरवर के रूप में रहेगा। ऐसी कमेटी के सामने शिकायतकर्ता महिला और आरोपी पुरुष दोनों ही अपनी-अपनी बातें खुल कर रखेंगे और इस कमेटी में दोनों की बातें बराबर से सुनी जाएगी। देखा गया है कि इस प्रकार की कमेटी के सामने वही महिला अपनी शिकायत लेकर जाती है, जो सचमुच यौन-उत्पीड़न की शिकार होती है

और कमेटी में चूंकि न्याय करने वाले निष्पक्ष हैं, लिहाजा महिलाओं को पूरा न्याय मिलता है।

अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने प्रस्तावित कानून में जो नई कमेटी की बात कर रहा है, उसमें जजों के रूप में बैठी अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सारी की सारी महिलाओं का महिला हितों के प्रति प्रतिबद्ध होना पहली शर्त है। सभी सदस्य नारीवादी मानसिकता से ग्रस्त, पुरुष के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त और सिर्फ महिला के लिए ही समर्पित होंगी। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश सिर्फ महिला को मुआवजा दिलवाने के लिए ही होगी। वे जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा आरोपी पुरुष से शिकायतकर्ता महिला को दिलवाने में सफल होंगी उतना ही महिलाओं के हित में काम करने वाला उनका प्रोफाइल मजबूत होगा, उनको अन्य बड़ी कमेटियों में शिरकत करने के ऑफर मिलेंगे और उनको मिलने वाली तनख्वाह बढ़ती जाएगी।

सजा नहीं सेटलमेंट

नया प्रस्तावित कानून आरोपी पुरुष को सजा नहीं, बल्कि उसके गुनाह के बदले उससे यौन उत्पीड़ित महिला को पैसा दिलाकर उसके साथ सेटेलमेंट की बात कहता है। कोई भी संस्कारी और सम्मानित महिला इस तरह के सेटेलमेंट के लिए कतई तैयार नहीं होगी, जबकि पैसे की लालची महिलाएं मुआवजे में लाखों रुपये पाने के लिए उन मौकों की तलाश में लगी रहेंगी, कि कब अपने कार्यालय के किसी पुरुष को अपना शिकार बनाएं और उस पर यौन-प्रताड़ना का आरोप लगा कर भारी

प्रस्तावित कानून पर पहले जनता की राय ले सरकार

नीलाद्री शेखर दास

सदस्य, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन

"हम सरकार से यह चाहते हैं कि जब यह कानून प्रस्ताव की स्टेज पर होते हैं तो उन्हें देश की जनता और मीडिया से अवगत कराना चाहिए ताकि उस पर सुझाव भेजे जा सकें, लेकिन यह पब्लिक को नहीं बताए जाते हैं। लॉ-मिनिस्ट्री को पब्लिक के कमेंट्स लेने और उन कमेंट्स पर विचार करने के बाद ही कोई कानून पास करना चाहिए। इससे जो भी कानून बनेगा वह पूरी तरह पारदर्शी होगा। जनता की नजरों से छुपा छुपा कर पास कराये गये कानून तो एकतरफा ही होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रस्तावित कानून भी एकतरफा है और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे।"

यूनीफेम की कठपुतलियां हैं महिला संगठन

संदीप भारती

अध्यक्ष, जेंडर ह्यूमन राइट सोसायटी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जो भी कानून बन रहे हैं उसमें बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में देश में बहुत सारे महिला स्वयंसेवी संगठन कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो गये हैं। इनमें से ज्यादातर संस्थाएं 'यूनाइटेड नेशन्स फंड फॉर वुमेन' (यूनीफेम) नामक विदेशी संस्था से करोड़ों रुपया हर साल भारतीय महिला उद्धार के नाम पर लेती हैं। यूनीफेम महिला मुद्दों और महिला सम्बन्धी कानूनों की ड्राफ्टिंग का काम करती है। भारत में मौजूद महिला संगठन को भी ये महिला सम्बन्धी कानून ड्राफ्ट करने के लिए उकसाती है और खूब पैसा देती है। लायर्स कलेक्टिव नामक संस्था को यहां यूनीफेम से भारी फंड मिलता है और ये विदेशों में जो कानून बनते हैं उन्हें इंडियन पीनल कोर्ट में फिट करने के लिए भारत की शक्तिशाली महिला संगठनों की मदद से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला आयोग तक अपने ड्राफ्ट कानून पहुंचाता है। सच्चाई यह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय खुद कोई कानून ड्राफ्ट करने की काबलियत ही नहीं रखता। बाहर से कानून ड्राफ्ट होकर उनको मिल जाते हैं। न तो इन कानूनों को ड्राफ्ट करने से पहले भारतीय परिवेश का सर्वे किया जाता है और न ही भारत में स्त्री-पुरुष मानसिकता और सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। चाहे घरेलू हिंसा कानून हो, दहेज प्रताड़ना कानून 498-ए हो या फिर आज का ये नया प्रस्तावित - कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न निरोधक कानून। सब बिना किसी सर्वे, बिना जनता की राय लिए, बिना जनता से सुझाव मांगे बन रहे हैं और भारतीय समाज पर थोपे जा रहे हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय और महिला आयोग यूनाइटेड नेशन्स फंड फॉर वुमेन की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। बाहरी तत्वों द्वारा ड्राफ्ट जो कानून वह लॉ मिनिस्ट्री को भेज रहा है, उनका कितना भारी नुकसान भारतीय महिलाओं को उठाना पड़ेगा इसकी उसे कोई परवाह नहीं है। उधर महिला संगठन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कानून पास हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा शिकायतें आनी शुरू हों। जब शिकायतें ज्यादा आएंगी तो कमेटियां ज्यादा बनेंगी और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन्स फंड फॉर वुमेन से उनकी करोड़ों की कमाई बढ़ती जाएगी। सब तरफ पैसे का खेल चल रहा है और समाज का ढांचा कितनी तेजी से दरक रहा है, यह किसी को दिखायी नहीं दे रहा है।''

मुआवजे के लिए कमेटी में झूठी शिकायत दर्ज कराएं। इस तरह झूठी शिकायतों की तादाद बढ़ेगी। कार्यालय में भय और शंका का माहौल पैदा होगा और कर्मचारियों के बीच घृणा और दूरी बढ़ती जाएगी।

महिला-रोजगार को क्षति

महिला और बाल विकास मंत्रालय इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि इस तरह के कानून का बहुत बड़ा नुकसान महिला-रोजगार पर पड़ेगा। मान लीजिए डांट या अन्य कारणों से खीज कर अथवा धन के लालच में कोई महिला कर्मचारी अपने बॉस को पर यौन-उत्पीड़न की झूठी शिकायत कमेटी में दर्ज कराती है, अगर उसका बॉस खुद को कमेटी के सामने बेगुनाह साबित न कर सका, तो उसकी तनख्वाह में से रकम काट कर शिकायत करने वाली महिला के खाते में डलवा कर दोनों के बीच मामला सेटेल कराया जाएगा। इससे होगा यह कि बॉस आइंदा अपनी कम्पनी में किसी भी महिला को नौकरी देने से कतराएगा, फिर चाहे वह महिला कितनी भी क्वालिफाइड क्यों न हो। वह चाहेगा कि उसकी कम्पनी में सिर्फ पुरुष ही काम करें। तो इस कानून से नुकसान किसका हुआ, उन महिलाओं का जो

महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाले कानून बन रहे हैं

नीरज अग्रवाल

समन्वयक, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन

''महिला संगठन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला आयोग सिर्फ महिलाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित सिर्फ एकतरफा बातें ही मीडिया में प्रचारित करती हैं। इनको जवाब देने के लिए, इनकी असलियत सामने लाने के लिए या दूसरे पक्ष को भी निष्पक्षता से सामने रखने के लिए क्योंकि देश में कोई पुरुष कल्याण मंत्रालय या पुरुष आयोग नहीं है, लिहाजा समाज में ऐसा संदेश जाता है कि नाइंसाफी सिर्फ महिलाओं के साथ ही हो रही है। महिलाओं के दिल में पुरुषों के लिए घृणा पैदा करते हैं ये महिला संगठन और दोनों के बीच सम्बन्धों को तोड़ने की कोशिश कर दोनों को अकेला कर देते हैं। इन्हीं सबके बीच लॉ-मिनिस्ट्री इनके बनाए ऐसे कानून भी पास कर देती है जो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।''

सब पैसे का खेल

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थलों पर यौन-उत्पीड़न निरोधक प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत लिए गये तमाम सेक्शन और धाराओं से सरकारी, गैर सरकार संस्थाओं व फैक्ट्रियों इत्यादि में कार्यरत लोगों को और स्वयं महिलाओं को कितना ज्यादा नुकसान भविष्य में पहुंचने वाला है, इसकी कानूनी दृष्टि से पड़ताल करके पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली के वकील *प्रदीप नवानी* ने विस्तृत जानकारी 'इंडिया न्यूज' की विशेष संवाददाता नसीम अंसारी को दी।

सेक्शन 7 - प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत सर्विस इंडस्ट्री को कवर किया गया है अर्थात इसमें डॉक्टर्स, वकील, चार्टेड एकाउंटेंट जैसे लोग आएंगे। अब मान लीजिए एक डॉक्टर और एक मरीज या एक वकील और उसका क्लाइंट, जिनके बीच कभी भी किसी भी मसले पर विवाद पैदा हो सकता है, चाहे वह फीस को लेकर हो या परफॉरमेंस को लेकर। अब अगर यह प्रस्तावित कानून लागू हो जाता है तो यह सभी प्रकार के विवाद यौन-उत्पीड़न का रूप लेकर सर्विस प्रोवाइड की जिन्दगी और उसका बरसों का करियर तबाह कर सकते हैं। एक डॉक्टर को अपनी पूरी पढ़ाई करके सेटल होने में लगभग 25 साल लगते हैं और उसकी 25 साल की मेहनत को तबाह करने के लिए किसी महिला मरीज की तरफ से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की मात्र एक शिकायत काफी है। इसी तरह किसी भी वकील के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में यौन-उत्पीड़न की एक शिकायत उसके पूरे करियर को तबाह करने के लिए काफी है। चाहे वह शिकायत झूठी ही क्यों न हो।

अभी तक यौन-उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस में जो प्रोसीजर हैं उसके अनुसार यौन-उत्पीड़न की जांच के लिए 16-17 मेम्बर्स की एक कमेटी बनती है। उस कमेटी के सदस्य शिकायतकर्ता और आरोपी की संस्था के ही होते हैं। इस कमेटी में विस्तार से दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद ही साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया जाता है। परन्तु इस प्रस्तावित कानून के आ जाने के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर यानि आरोपी है, उसकी सुनवाई के लिए कमेटी में उसके लोग ही नहीं होंगे। सिर्फ कमेटी का अध्यक्ष उसके कार्यालय से होगा और उसमें भी कंडिशन है कि वह एक महिला होगी और बाकी के दोनों सदस्य महिला स्वयंसेवी संगठन की ऐसी महिलाएं होंगी जो महिला हितों के लिए ही लड़ रही हैं। कहने का मतलब है कि जब जज के रूप में बैठी सदस्य महिला हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो प्रथम दृष्टया इस कानून का दुरुपयोग ही होगा। अभी तक सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार उनकी अपनी बॉडी को था यानि डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या वकील के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुशासनात्मक कार्रवाई करती थी, लेकिन प्रस्तावित कानून के आने के बाद गठित कमेटी का फैसला उसकी डिसिप्लिनेरी बॉडी के बराबर होगा। यानि यदि प्रथम दृष्टया यदि महिला के खिलाफ यौन-उत्पीड़न कमेटी ने मान लिया, तो आरोपी को तुरंत प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये उसके मूलभूत अधिकारों पर सबसे बड़ा आघात है। खासतौर पर उस व्यक्ति के लिए जो कि 25-30 साल की पढ़ाई करके किसी प्रोफेशन में आ रहा है और सिर्फ एक शिकायत की वजह से आप उसको ये अधिकार भी नहीं दे रहे हैं कि जो उसकी संविधानिक बॉडी है उसके पूरे मेम्बर्स उसके खिलाफ शिकायत को सुनें, उसकी सफाई सुनें, दोनों तरफ से दिये गये साक्ष्यों की पड़ताल करें और फिर फैसला हो।

सेक्शन 11 - इसमें न्यायिक तंत्र के आफिसर्स को कवर किया गया है। जिसमें ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। सब जानते हैं कि ज्यूडिशियरी के ऊपर आज कितना बोझ है। काम का यह बोझ नीचे वाले नॉनज्यूडिशियल स्टाफ पर भी रहता है। अगर नीचे के स्टाफ की किसी महिला को काम के बोझ से परेशानी है तो वह इससे खीज कर ज्यूडिशियल ऑफिसर पर यौन-उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करा सकती है या किसी जज ने किसी महिला के खिलाफ कोई फैसला दे दिया तो वह भी बदला लेने के लिए ऐसे कृत्य कर सकती है। कानून पास होने की हालत में उस शिकायत के लिए कमेटी का गठन करना होगा, ज्यूडिशियल ऑफिसर या जज साहब को नोटिस भेजा जाएगा। हमारे देश के न्यायिक तंत्र को निष्पक्ष और पवित्र माना जाता है। आज तक किसी भी ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत देखने में नहीं आयी है। तो ऐसे में सेक्शन-11 के अन्तर्गत न्यायपालिका को कवर करके जजों के चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश और निष्पक्ष तरीके से फैसला देने की उसकी आजादी को रोकने की कोशिश की गई है।

सेक्शन 13 - यह सबसे हानिकारक सेक्शन है और जिसकी वजह से झूठी शिकायतों

सदियों बाद बमुश्किल सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर बाहर निकल पायी हैं और अपनी योग्यता हर क्षेत्र में दिखा रही है, पुरुष के कंधे से कंधा मिला कर देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। इस कानून के दुरुपयोग से धीरे धीरे महिलाओं को रोजगार मिलने में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी।

दूसरी तरफ ऐसे कामुक पुरुष को जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है या जिनका आकर्षण पैसे से ज्यादा नारी देह के प्रति है, वे इस व्यवस्था का भरपूर फायदा उठाएंगे। उन्हें पता होगा कि कार्यालय में किसी आकर्षक महिला को जबरन चुम्बन देने पर उसे कितना पैसा देना होगा, या उससे अश्लील बातें करने के लिए कितना पैसा देना होगा। वह जो काम रेड लाइट एरिया में पैसा फेंक कर गन्दी औरत के साथ करता है, उसे वही काम पैसा फेंक कर साफ सुथरी, पढ़ी-लिखी, संस्कारवान और आकर्षक औरत के साथ करने की व्यवस्था यह कानून कर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस नये प्रस्तावित कानून पर कटाक्ष करते हुए न्यूयार्क में रह रहे 'मेन सीक्स जस्टिस' संस्था के फाउंडर मेम्बर अरनब गांगुली सिर्फ एक शेर में पूरी बात स्पष्ट कर देते हैं -

सेक्सुअल हैरेसमेंट में अब नहीं होगी जेल
अब मजा लूटो और देखो पैसों का खेल

छुपाया जाएगा लड़की का पूर्व इतिहास

कानून की निष्पक्षता पर सवालिया निशान की

एक और बड़ी वजह है। मान लीजिए कि कोई लड़की पहले दस बार विभिन्न पुरुषों के खिलाफ यौन-उत्पीड़न की झूठी शिकायतें दर्ज करा चुकी है

को खूब बढ़ावा मिलेगा। इसके अन्दर शिकायतकर्ता को मनचाहा मुआवजे देने की बात कही गई है और मुआवजा मिलने के बाद भी शिकायतकर्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो आगे अपना केस जारी रख सकती है। ऐसे में 80 प्रतिशत मुकदमे तो सिर्फ मुआवजा पाने के लिए ही होंगे। अगर आप आईपीसी दहेज प्रताड़ना कानून 498-ए या घरेलू हिंसा एक्ट देखें तो इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इनका दुरुपयोग होता है और 498-ए के झूठे केस लीगर टेरेरिज्म है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी इस नये प्रस्तावित बिल के अन्दर इसके दुरुपयोग को रोकने का कोई प्रावधान नहीं हैं। शिकायत अगर झूठी पायी जाती है तो शिकायतकर्ता के ऊपर क्या एक्शन होगा इस प्रस्तावित कानून में कहीं भी यह नहीं बताया गया है। उल्टा यह कहा गया है कि अगर शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता के ऊपर या उसके विटनेस और मददगारों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा।

सेक्शन 14 - यह पुनः न्यायपालिका से सम्बन्धित है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी शिकायतकर्ता सिविल कोर्ट के पास जाकर मुआवजे की मांग कर सकती है। जज के लिए कहा गया है कि वह अपना फैसला सम्भावनाओं के आधार पर देंगे, न कि साक्ष्यों के आधार पर। अभी तक ऐसे केसों में जज दोनों पक्षों को पूरी तरह सुन कर साक्षों के आधार पर फैसले देते थे लेकिन अब उन्हें यह सोच कर फैसला देना होगा कि औरतों के साथ तो यौन-उत्पीड़न होता ही है, तो इसके साथ भी जरूर हुआ होगा, यानि जज सम्भावना के आधार पर अपना फैसला सुनाएगा और मुआवजा दिलवाएगा। इसके लिए शिकायतकर्ता महिला को उस कमेटी, जिसके सदस्यों के सिलेक्शन और निष्पक्षता पर ही प्रश्नचिन्ह लगा है, से सिर्फ यह साबित करवा कर लाना है कि प्रथम दृष्टया शिकायत सही लगती है। कोर्ट उसको यह मुआवजा आरोपी की आर्थिक हैसियत के अनुपात में दिलवाने के लिए बाध्य होगा। अब इससे होगा यह कि सबसे ज्यादा उन लोगों पर यौन उत्पीड़न के मुकदमे डाले जाएंगे जिनका आर्थिक स्तर बहुत उन्नत है। जैसे कम्पनी के मालिक, सीईओ, एमडी इत्यादि। जिस तरह से कानून प्रस्तावित है उसमें सौ फीसदी समाज की क्रीमी लेयर को शिकार बनाया जाएगा।

सेक्शन 16 - यह किसी कार्यालय में गठित होने वाली जांच-कमेटी के सम्बन्ध में है। संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि वे अपनी मर्जी की कमेटी का गठन नहीं कर सकते। उन्हें नये कानून के अनुरूप कमेटी गठित करनी होगी जिसमें उनको अपना सिर्फ एक जज रखना होगा और वह भी कोई महिला होनी चाहिए, जिसकी मानसिकता नारीवादी हो। बाकी की दो सदस्य बाहरी महिला संगठन से होंगी जो महिला हितों की लड़ाई लड़ रही हों। कहना गलत न होगा कि कमेटी 80 फीसदी पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त और पक्षपात पूर्ण रवैये वाले लोगों से भरी होगी। तो पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त ऐसी औरतें से आप सही और निष्पक्ष फैसलों की उम्मीद करेंगे? यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है।

सेक्शन 31- यह सबसे ज्यादा विरोध करने लायक सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि यदि यौन उत्पीड़न की शिकायत किसी जज के खिलाफ आती है तो उसकी सुनवाई कैसे की जाएगी। प्रस्ताव है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दो एडिशनल सेशन जज लिए जाएंगे और वे दोनों जज महिलाएं होंगी। ये बात कह कर ये क्या संदेश देश को देना चाहते है कि सिर्फ महिला जज ही ऐसे मामले में ठीक फैसला दे सकती है, पुरुष जज नहीं? ऐसी बात कहकर इन्होंने पूरी न्यायपालिका पर उंगली उठा दी है, जबकि हमारी पूरी न्यायपालिका निष्पक्ष मानी जाती है। अब इस कमेटी में भी जजों के साथ तीसरा सदस्य किसी महिला संगठन की महिला को बना दिया है। यानि डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायाधीशों के साथ भी आप अपने महिला संगठन को बिठाना चाहते हैं। यहां तक के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच-कमेटी में भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के साथ अपना महिला संगठन बिठाएंगे। यह बड़ी ओछी और बेहूदा बात है। आप हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से चैलेज कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं महिला संगठन न्यायपालिका के सिर पर चढ़ कर नाचेंगी।

सेक्शन 39 - इसमें कहा जाता है कि एक मालिक अपने नौकर की सुरक्षा का जिम्मेदार है। अब मान लीजिए कि किसी ऑरगेनाइजेशन में कोई महिला अपने मैनेजर पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराती है तो यह सेक्शन उसको पूरा अधिकार दे रहा है कि वह और ज्यादा मुआवजा पाने के लिए ऑरगेनाइजेशन के मालिक को भी अपनी याचिका में सेकेंड पार्टी बना कर खींच ले, जिसका कोई लेना देना उसके यौन-उत्पीड़न से नहीं है। आप सोच सकते हैं कि लूटखसोट के लिए यह सेक्शन कितना घातक साबित होगा। ज्यादा से ज्यादा रकम ऐंठने के लिए महिलाएं अपने टॉप लेवल मेनेजमेंट को अपनी शिकायती पत्र में सेकेंड पार्टी बनाने लगेंगी।

सेक्शन 44 - इसमें यह अधिकार महिला को मिलता है कि यदि उसने अन्दरूनी कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करायी है तो वह आरोपी के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस भी कोर्ट में चला सकती है यानि इस सेक्शन से भारतीय संविधान की धारा-20 का खुला उल्लंघन हो रहा है, जो ये कहता है कि किसी भी आदमी पर एक ही जुर्म में दो ट्रायल नहीं चलाए जा सकते हैं।

सेक्शन 53 - इसके अन्तर्गत आरोपी को इस बात के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है कि वह कमेटी के सामने क्रॉस इग्जामिनेशन में शिकायतकर्ता के चरित्र, उसके पूर्व जीवन, उसके यौन जीवन, उसके शादीशुदा जीवन या एकाकी जीवन, उसके पुरुष मित्रों की संख्या या नजदीकियों के बारे में कोई भी सवाल पूछे, जबकि यौन उत्पीड़न के किसी भी केस में सच्चाई को पूरी तरह सामने लाने के लिए ऐसे सवाल बेहद जरूरी होते हैं। न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अन्दर इस बात का पूरा अधिकार आरोपी को है कि उसके खिलाफ जो साक्ष्य दिये जा रहे हैं या जो गवाहियां हो रही हैं, उनके हर पहलू का वह क्रॉस इग्जामिन करे ताकि सच्चाई निकल कर सामने आये। यहां तक कि आईपीसी की धारा-376 जो कि बलात्कार की धारा है, के अन्तर्गत भी आरोपी को यह अधिकार है कि वह शिकायतकर्ता से उसके चरित्र या उसके यौन-जीवन के बारे में सवाल कर सकता है। अब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न बलात्कार से ज्यादा जघन्य मामला तो नहीं है, फिर इसमें आरोपी को यह सवाल पूछने पर प्रतिबन्धित क्यों किया गया है? यह बेहद विचारणीय और जानने योग्य बात है कि जो शिकायतकर्ता किसी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है उसका खुद का चरित्र कैसा है?

सेक्शन 59 - कहता है कि अगर किसी महिला को बहुत सालों बाद भी यह याद आता है कि उसके साथ कार्यालय में यौन उत्पीड़न हुआ था तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। अब और वह ग्यारहवीं शिकायत लेकर किसी कमेटी के सामने आती है तो इस नये कानून के मुताबिक उसे पूर्व में दर्ज करायी गई अपनी शिकायतों के बारे में कमेटी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि यदि आरोपी पुरुष के ऊपर पूर्व में एक या दो बार भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं तो उसे कमेटी को बताना आवश्यक हैं। जब जांच प्रक्रिया शुरू होगी तो जो साक्ष्य और गवाही लड़के के खिलाफ पेश किये जा रहे हैं उनका क्रॉस इग्जामिनेशन करते वक्त भी लड़का लड़की से अन्य मर्दों के खिलाफ उसकी पिछली शिकायतों के बारे में या उसके चरित्र, उसके यौन-जीवन, उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, जो कि किसी भी आरोपी को अपने बचाव के लिए हर सूरत में पूछने जरूरी हैं और जिसका अधिकार तो बलात्कार के आरोपी को भी दिया जाता है। तो किसी भी कानून में ऐसे प्रावधान रखना कानून को एकतरफा और अन्यायपूर्ण बनाते हैं।

संविधान की धारा 15 का उल्लंघन

भारतीय संविधान की धारा-15 में साफ कहा गया है कि आजाद भारत में लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि प्रस्तावित कानून का स्वरूप ऐसा है जिसमें पुरुष के यौन-उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक उत्पीड़न, झूठी शिकायत करके उसकी इज्जत का तमाशा बनाने और उसका सामाजिक उत्पीड़न करने पर उसको झूठी शिकायत करने वाली महिला की तरफ से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। साफ है कि लिंग के आधार पर पुरुष के साथ भारी भेदभाव इस कानून के अन्तर्गत होगा। न्यूयार्क से फोन पर इस प्रस्तावित कानून के बारे में बात करते हुए अरनब गांगुली कहते हैं, "भारत में कई ऐसी बड़ी कम्पनियां हैं जिनकी बॉस एक महिला है, कई कम्पनियों की सीईओ के पद पर महिलाएं बैठी हैं, तो ऐसे में यदि कोई महिला अधिकारी अपने अंडर काम करने वाले किसी पुरुष से चिढ़ जाए, उसे नौकरी से

मान लीजिए किसी महिला को 20 साल याद आता है कि उसके साथ फलां आदमी ने ऑफिस में कुछ किया था, तो वह शिकायत करेगी और उसकी सुनवाई के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। बड़ा ही हास्यास्पद है यह सब।

सेक्शन 55 - ये कहता है कि यदि महिला यौन उत्पीड़न का मुकदमा अदालत में लेकर जाती है तो उसे किसी प्रकार की कोर्ट-फीस देने की जरूरत नहीं है। जबकि अभी तक यदि आप सिविल कोर्ट में कोई ऐसा मामला लेकर जाते हैं जिसमें आप 10-15 लाख रुपया मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो उसके अनुपात में निश्चित कोर्ट-फीस आपको जमा करनी होती है। अब अगर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव महिलाओं पर नहीं होगा तो मुआवजा पाने के लिए झूठी झूठी शिकायतों का अम्बार अदालतों में लग जाएगा, जबकि हमारी अदालतों पर पहले ही मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा है।

अब आप यह देखिए कि प्रस्ताविक कानून में यौन उत्पीड़न के आरोपी से सवाल पूछने के अधिकार छीन लिए गये और उसके बाद आप जजों से यह कह रहे हैं कि फैसले के वक्त वह इस बात को ध्यान में रख कर फैसला सुनाएं कि औरत तो अबला होती है और उसके साथ तो यौन-शोषण होता ही है। आप जजों से कह रहे हैं कि आप अच्छे साक्ष्यों के प्रकाश में फैसला देने की बजाए इस बात को ध्यान में रख कर फैसला दें कि शिकायतकर्ता महिला उस व्यक्ति से जूनियर है और वह अपने साथ हुए यौन-उत्पीड़न को सिद्ध करने के लिए किसी भी हालत में अच्छे साक्ष्य नहीं जुटा सकती, जबकि आजकल हर अच्छी कम्पनी और ऑफिसों में हिडेन कैमरा, सीसी कैमरा इत्यादि लगे होते हैं, जिनकी रेंज बहुत दूर तक होती है। अतः यदि कोई ऐसी घटना ऑफिस में हो, तो इन कैमरों की नजर से नहीं बच सकती, लेकिन प्रस्तावित कानून में साक्ष्यों की जरूरत और अच्छे साक्ष्यों के 'एप्रिसिएशन' को ताक पर धर दिया गया है। ऐसे में क्या यह कानून किसी के साथ सही और निष्पक्ष न्याय कर सकेगा?

आज भी हमारी आईपीसी में सेक्शन-354 और सेक्शन-509 है जो औरत के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के यौन अपराध की जांच के लिए पूरी तरह सक्षम है, तो इस नये कानून की जरूरत क्यों है, क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें मुआवजे के रूप में लाखों-करोड़ों रुपये की धनराशि शिकायतकर्ता महिला को दिलाई जा सकती है, जबकि आईपीसी के दोनों सेक्शन - 354 और 509 में आरोपी को सजा देने का प्रावधान है। यदि यौन-उत्पीड़न घृणित और जघन्य अपराध है तो इसमें भी सजा की ही व्यवस्था होनी चाहिए। यदि यह जघन्य अपराध है तो इसे नॉनकम्पाउंडेबल बनाया जाना चाहिए, जैसा कि दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा एक्ट या 376 रेप केस या धारा 304 को बनाया गया है। लेकिन सिर्फ इसीलिए इसको नॉनकम्पाउंडेबल नहीं बनाया गया है क्योंकि जैसे ही किसी स्टेज पर पैसे का मामला फिट हो जाए, शिकायतकर्ता पैसे लेकर अपनी शिकायत वापस ले सके, जबकि नॉनकम्पाउंडेबल हो जाने पर केस को हाई कोर्ट जाकर ही खरिज करवाया जा सकता है। यदि महिला मंत्रालय यौन उत्पीड़न को जघन्य अपराध मानता है तो इसमें शिकायतकर्ता को यह अधिकार क्यों दिया गया कि वह किसी भी स्टेज पर अपनी शिकायत वापिस ले सकती है, हो सकता है उसको जान से मारने की धमकी मिले और वह डर कर शिकायत वापिस ले ले। यदि यौन उत्पीड़न इतना घृणित और जघन्य अपराध है तो क्यों यह सुविधा दी जा रही है कि पीड़ित स्त्री खुल्लमखुल्ला आरोपी के साथ एक टेबल पर बैठ कर अपने साथ हुए अपराध पर मनचाहे मुआवजे के लिए मोल-भाव कर सकती है? और यदि उनका सेटेलमेंट हो गया तो वहीं से वह अपनी शिकायत वापिस ले सकती है। ऐसे में तो 80 फीसदी मामले कभी कोर्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं, सेटेलमेंट टेबल पर ही लाखों-करोड़ों रुपये के लेन देन के साथ सेटल हो जाएंगे। कोई भी बड़ा और सम्मानित आदमी अपनी बदनामी से बचने के लिए चाहे वह निर्दोष ही क्यों न हो, पैसे देकर इस मामले से मुक्ति पाने की कोशिश करेगा। साफ है कि जिस तरह से पैसे का खेल शुरू होने वाला है, यौन उत्पीड़न के मामले में समाज के बहुत हाईप्रोफाइल लोग ही फंसाए जाएंगे।

इसके खिलाफ विरोध के स्वर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि न सिर्फ शिकायतकर्ता की पहचान छुपायी जाएगी बल्कि जजमेंट शीट तक पर उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। मीडिया को उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी जबकि आरोपी की पहचान पहले दिन ही खोल दी जाएगी, जजमेंट शीट पर उसका नाम छपेगा और मीडिया में भी उसके बारे में बताया जाएगा। आईपीसी में बलात्कार की धारा-376 के अन्दर भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जो कि यौन उत्पीड़न से ज्यादा जघन्य अपराध है।

सबसे आखिर में मैं इस प्रस्तावित कानून के द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल-14 के उल्लंघन की बात बताना चाहता हूं। आर्टिकल-14 कहता है कि स्वतंत्र भारत में कानून के सामने हर नागरिक बराबर है। जबकि यह प्रस्तावित कानून महिलाओं की तरफदारी करके आर्टिकल-14 का उल्लंघन कर रहा है। न्याय का प्राकृतिक सिद्धान्त यह कहता है कि कोई भी न्यायाधीश ऐसे किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगा, जिससे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो। माननीय इंग्लैड की कोर्ट और भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी यही आदेश हैं, लेकिन प्रस्तावित कानून में जो कमेटी गठित की जाएगी, उसके सदस्य ऐसे लोग हैं जो महिला संगठनों से आए हैं और महिला हितों के ही लिए लड़ने वाले हैं यानि कि इनका शिकायतकर्ता महिला के हित से अप्रत्यक्ष जुड़ाव स्पष्ट है। वे जिस महिला स्वयंसेवी संगठन से आयी हैं वे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी हैं और उनको वहां से पैसा प्राप्त हो रहा है, इस तरह कमेटी की सदस्य प्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ता के ही हितों से जुड़ी हैं। तो जब जज के रूप में बैठी कमेटी की सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में शिकायतकर्ता के हितों से ही जुड़ी हैं तो वे न्याय किसके हित में करेंगी? मेरा मानना है कि इन तमाम खामियों के साथ यदि यह प्रस्तावित कानून पास किया गया तो आने वाले वक्त में इसका दहेज प्रताड़ना कानून 498-ए और घरेलू हिंसा एक्ट से भी बड़ा दुरुपयोग देखने को मिलेगा क्योंकि 498-ए और घरेलू हिंसा एक्ट के अन्तर्गत तो पैसा पाने के लिए झूठी शिकायतें सिर्फ पति के खिलाफ दर्ज की जाती हैं पर इस प्रस्तावित कानून की परिधि में तो टॉप क्रीमी लेयर, मंत्री, सांसद, जज, डॉक्टर, वकील सभी आ जाते हैं। सभी को झूठी शिकायतों में फंसा कर मनचाहा मुआवजा वसूला जा सकता है।

हटाना चाहे अथवा उसके प्रति आकर्षित हो और उससे सेक्सुअल फेवर चाहे, तो उसके मना करने पर वह उसका उत्पीड़न करने पर आमादा हो सकती है। ऐसा पुरुष अपनी शिकायत लेकर किस कमेटी के पास जाए? 'कार्यालय में यौन-उत्पीड़न निरोधक कानून' में तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पुरुषों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं रखा है। महानगरों की मल्टीनेशनल कम्पनियों, कॉलसेंटरों या अन्य बड़ी कम्पनियों में यह बेहद आम बात है कि महिलाकर्मी अपने सहकर्मी पुरुषों की ओर आकर्षित हो कर उनसे भद्दे मजाक करती हैं, अश्लील एसएमएस भेजती हैं तो क्या महिलाओं द्वारा पुरुषों का यौन-उत्पीड़न नहीं हो रहा है? उनकी शिकायत कौन सी कमेटी सुनेगी? महानगरों में होमोसेक्चुअल मामले बढ़ रहे हैं। यदि कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री से सेक्चुअल फेवर चाहे और वह न दे तथा कमेटी में एक औरत के खिलाफ ही यौन-उत्पीड़न की शिकायत लेकर जाए, तो क्या जांच-कमेटी आरोपी महिला की सैलरी से रकम पीड़ित महिला को देने का फैसला सुनाएगी? शायद नहीं। दरअसल ये कानून आधा-अधूरा, एकतरफा और लिंग आधारित बना है, जबकि किसी भी मंत्रालय को लिंग भेद किये बगैर कानून ड्राफ्ट करने चाहिएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी 'यौन-उत्पीड़न निरोधी कानून' बनाना चाहिए न कि सिर्फ 'महिला यौन-उत्पीड़न निरोधी कानून।'

मीडिया की आजादी पर प्रतिबंध

मंत्रालय के प्रस्तावित कानून को लेकर मीडिया में भी भारी नाराजगी व्याप्त है क्योंकि एकतरफा और लिंग आधारित कानून ड्राफ्ट करने वालों ने मीडिया के अधिकार और आजादी पर रोक लगाने की कोशिश की है। कानून कहता है कि यौन-उत्पीड़न की जांच करने वाली कमेटियों के सामने महिलाओं द्वारा जितनी भी झूठी शिकायतें आएंगी,

उनसे मीडिया को कतई अवगत नहीं कराया जाएगा, लेकिन जितनी सच्ची शिकायतें होंगी और जिनमें आरोपी पुरुष से शिकायर्ता महिला को मुआवजे के रूप में भारी रकम दिलवा दी जाएगी, उनके बारे में मीडिया को जरूर बताया जाएगा। महिला स्वयंसेवी संगठनों के दबाव में तैयार किया गया यह कानून कितना निष्पक्ष और पारदर्शी है यह इसी बात से साफ हो जाता है। स्पष्ट है कि महिला संगठन नहीं चाहते कि महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से पैसे के लालच में जो झूठी शिकायतें कमेटी के सामने आएं, उनका पता किसी को भी चले और जिन शिकायतों पर कमेटी किसी महिला को लाखों रुपया मुआवजा दिलवा दे, उसका खूब ढोल पीटा जाए ताकि दूसरी कामकाजी महिलाएं भी लाखों रुपयों के लालच में सच्ची झूठी शिकायतें कमेटी में बढ़ चढ़ कर दर्ज कराएं। मीडिया को झूठी शिकायतों का पता न चलने पर झूठी शिकायतें दर्ज कराने वाली औरतों को यह भी खौफ नहीं होगा कि उनकी बेज्जती होगी। दूसरी तरफ झूठी शिकायत के कारण जिस पुरुष को भारी जलालत और मानसिक त्रासदी से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए किसी मुआवजे का प्रावधान कानून में नहीं है। झूठी शिकायत का पता मीडिया को न चलने से इस प्रताड़ित पुरुष की त्रासदी भी कोई नहीं जान पाएगा। मजे की बात यह है कि सूचना के अधिकार एक्ट-2005 के तहत भी कमेटी से यह जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती कि कितनी फीसदी झूठी शिकायतें कमेटी में आयी। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की सदस्य स्नेहलता कहती हैं, ''मैं तो कहती हूं कि झूठी शिकायतों के बारे में पहले मीडिया को बताना चाहिए कि कैसे लड़की ने झूठ बोल कर लड़के को फंसाया, उसकी इज्जत उछाली और उसे प्रताड़ित किया। इससे सिर्फ वही लड़कियां अपनी शिकायतें लेकर कमेटी के सामने आएंगी, जिनके साथ सचमुच में कोई घटना घटी है और कमेटी को भी न्याय करने में आसानी होगी। दूसरी बात यह कि समाज और देश में जो गलत हो रहा है उसको उजागर करने के मीडिया के काम और अधिकार पर आप किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। उसे सच और झूठ दोनों ही जानने की आजादी है, बल्कि झूठ को जानने का अधिकार ज्यादा है।''

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला आयोग और महिला स्वयंसेवी संगठन काफी लम्बे समय से अपने प्रस्तावित आधे-अधूरे एकतरफा कानून को पास करा लेने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस कानून की बारीकियां खंगालने के बाद देश भर से ही नहीं, बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों ने भी इसके खिलाफ आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी हैं। भारत में लिंग समानता और स्त्री-पुरुष समान अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं जैसे - सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, जेंडर हयूमन राइट सोसायटी, मेन सीक्स जस्टिस, सेव फैमिली फाउंडेशन दिल्ली, ऑल इंडिया मेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर इन्टरनैशनल मेन्स राइट एक्टिविज्म एंड वेलफेयर अब इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ एकजुट हो चुकी हैं। इनकी एक मांग यह भी है कि जिस प्रकार महिला हितों के लिए महिला कल्याण मंत्रालय एवं आयोग हैं उसी प्रकार पुरुष हितों के लिए देश में पुरुष कल्याण

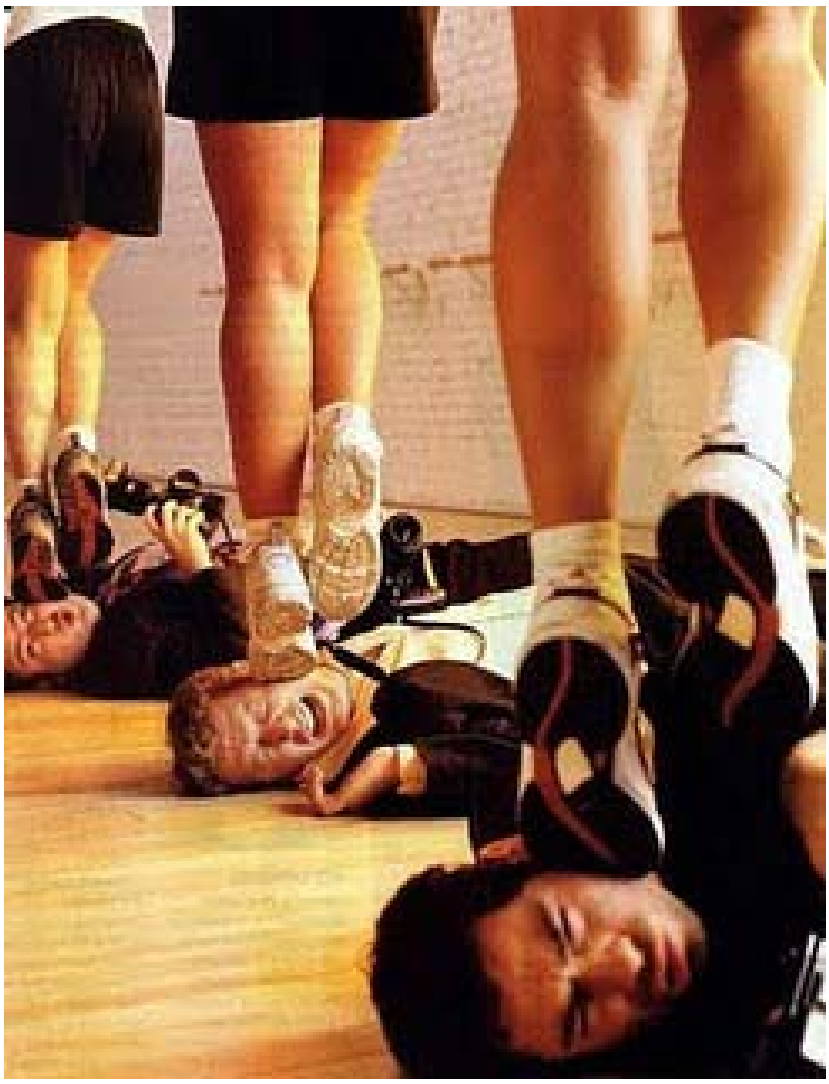

मंत्रालय और पुरुष आयोग बनने चाहिए ताकि समाज में सिर्फ एकतरफा बातें ही प्रसारित न हो सकें। स्त्री हो या पुरुष, भावनाएं दोनों ओर बराबर होती हैं, पीड़ा और परेशानिया भी दोनों ओर बराबर होती है और लालची प्रवृत्ति के लोग भी दोनों तरफ होते हैं, तो ऐसे में दोनों तरफ की सच्चाइयों को सामने आने की जरूरत है, न कि सिर्फ एक पक्ष की। स्त्री-पुरुष गाड़ी के दो पहिये हैं जिनके साथ रहने पर ही दुनिया का कारवां चलेगा, चाहे वह घर हो या कार्यालय, जबकि महिला संगठन हमेशा इनके बीच घुस कर इन्हें तोड़ने और अलग करने की कुचेष्टाओं में लगे रहते हैं। इस सम्बन्ध में जेंडर ह्यूमन राइट सोसायटी के अध्यक्ष संदीप भारती की बात का उल्लेख यहां जरूरी है, जो कहते हैं, ''देश में जितने भी बड़े महिला स्वयंसेवी संगठन हैं, या महिला आयोग अथवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आप देखेंगे कि इनमें ज्यादातर महिलाएं, खासकर जो उच्च पदों पर हैं, उनकी अपनी शादियां नहीं चली हैं, या तो वे अविवाहित हैं अथवा तलाकशुदा हैं। उनके खुद के बच्चे नहीं हैं। तो ऐसी औरतें जो मर्द-औरत के बीच के नाजुक और प्रेम भरे सम्बन्धों को कभी महसूस ही नहीं कर पायी हैं, स्त्री-पुरुष के बीच सामन्जस्य की भावना और तरीकों को समझ ही नहीं पायी हैं, उनके हाथों में आपने शादी से सम्बन्धित कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। अपने जीवन में उन्हें जो नहीं मिला उसका बदला वह कहीं न कहीं समाज से ही लेंगी, जो कि मानव मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो ऐसी औरतें समाज को तोड़ेगी या जोड़ेगी, इस बात का अनुमान तो कोई भी आसानी से लगा सकता है।''

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के महिला हितों के दावे पर समाजसेवी किरण कुकरेजा तमतमा कर कहती हैं, ''दहेज प्रताड़ना कानून और घरेलू हिंसा कानून की वजह से पहले ही बहुत सारे घर टूट चुके हैं, लाखों लोग आज इन कानूनों की वजह से ही तन्हा और उदास जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिये गये हैं। अब अगर कार्यस्थलों में भी इस मंत्रालय के बनाए कानूनों की घुसपैठ हो जाएगी तो उनको धनउगाही का हथियार बना कर छोटी-छोटी सी बात पर कार्यालय को रणक्षेत्र बनते देर नहीं लगेगी। इससे चारों तरफ घृणा और शंका का वातावरण ही बनेगा, पुरुष स्त्रियों के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, उनसे दूरी बना के रखेंगे। इस कानून से नुकसान में तो महिलाएं ही रहेंगी। कुछ साल पहले जब घरेलू हिंसा एक्ट पास हुआ था तब भी हमने कहा था कि इससे महिलाओं का नुकसान होगा। आज इस एक्ट के तहत बहू उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराती है और पुलिस सास और ननद को उठा कर जेल भेज देती है। एक औरत की शिकायत पर दो औरतों को जेल! जल्दी जमानत भी नहीं होती। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से निकले कानून खूब महिलाओं का हित कर रहे हैं!''